संख्या:-10/2017/2325/सोलह-प्रा0शि0-1-2017-14(54)/2012

प्रेषक,

अबरार अहमद,
विशेष सचिव**,**
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

कुलसचिव,
डा० ए०पी०जे० अब्दुल कलाम
प्राविधिक विश्वविद्यालय, उ०प्र०
लखनऊ।

प्राविधिक शिक्षा अनुभाग-1 लखनऊ: दिनांक: 16 जून, 2017

विषयः-डा0 ए0पी0जे0 अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय, उ0प्र0, लखनऊ के नियंत्रणाधीन डिग्री अभियंत्रण संस्थाओं/व्यावसायिक संस्थाओं में शैक्षिक सत्र 2017-18 की राज्य प्रवेश परीक्षा/काउंसिलिंग/यू0पी0एस0ई0ई0-2017 से संबंधित निर्गत शासनादेश दिनांक 02.01.2017 व दिनांक 15.05.2017 में संशोधन।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कुलपति/अध्यक्ष केन्द्रीय प्रवेश समिति, डा0 ए0पी0जे0 अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय, उ0प्र0, लखनऊ के पत्र संख्या-अ0क0प्रा0वि0/ कुप0का0/2017/8801 दिनांक 12.06.2017 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा नव प्रवेशित छात्रों के लिए अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद द्वारा विभिन्न पाठ्यक्रमों में यथानिर्धारित अर्हता पर रिक्त बची सीटों/मैनेजमेंट कोटा सीटों पर, पूर्व निर्धारित मेरिट क्रम में एवं अन्य आवश्यक शर्तों के अधीन, किये जाने पर सहमति देते हुए/प्रस्ताव करते हुए अर्हता प्रतिशत को दशमलव के पूर्णांक तक माने जाने की आख्या दी गयी है।

2. इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि आपके उपरोक्त पत्र में किये गये प्रस्ताव के आधार पर शासनादेश संख्या-1639/सोलह-प्रा0शि0-1-2017-14(54)/2012 दिनांक 15.05.2017 के बिन्दु-2(ट) में निम्नवत संशोधन किया जाता है:-

शासनादेश का बिन्दु सं0	वर्तमान प्राविधान	संशोधित प्राविधान
2(V)	काउन्सिलिंग के उपरान्त निजी क्षेत्र में स्थापित संस्थाओं में रिक्त बची सीटों के प्रवेश हेतु संस्था स्तर पर अभ्यर्थियों को प्रवेश हेतु निम्नानुसार मेरिट के आधार पर वरीयता प्रदान की जायेगी:- 1. विश्वविद्यालय से सम्बद्ध सभी निजी	काउन्सिलिंग के उपरान्त निजी क्षेत्र में स्थापित संस्थाओं में रिक्त बची सीटों के प्रवेश हेतु संस्था स्तर पर अभ्यर्थियों को प्रवेश हेतु निम्नानुसार मेरिट के आधार पर वरीयता प्रदान की जायेगी:- 1. विश्वविद्यालय से सम्बद्ध सभी निजी अभियंत्रण

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

	अभियंत्रण एवं व्यावसायिक संस्थानों में यू0पी0एस0ई0ई0-2017, जे0ई0ई0 मेन्स, किसी राज्य सरकार अथवा राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित प्रवेश परीक्षा में उत्तीर्ण। 2. स्नातक स्तरीय पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु 102 अथवा समकक्ष स्तर पर पी0सी0एम0/पी0सी0बी0 विषयों में न्यूनतम 60 प्रतिशत (एस0सी0/एस0टी0 55 प्रतिशत) अंकों के साथ बिना ग्रेस/कृपांक के उत्तीर्ण हों। एम0बी0ए0/एम0सी0ए0 पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु न्यूनतम प्राप्तांक स्नातक/समकक्ष स्तर पर 55 प्रतिशत (एस0सी0/एस0टी0 50 प्रतिशत) अंकों के साथ उत्तीर्ण। उक्त प्रयोजन हेतु विश्वविद्यालय द्वारा एक पोर्टल ओपेन किया जाएगा, जिसमें 10$2 अथवा समकक्ष स्तर पर पी0सी0एम0/पी0सी0बी0 विषयों में न्यूनतम 60 प्रतिशत (एस0सी0/एस0टी0 55 प्रतिशत) अंकों के साथ बिना ग्रेस/कृपांक के उत्तीर्ण तथा एम0बी0ए0/एम0सी0ए0 पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु न्यूनतम प्राप्तांक स्नातक/समकक्ष स्तर पर 55 प्रतिशत (एस0सी0/एस0टी0 50 प्रतिशत) अंकों के साथ उत्तीर्ण छात्र/ छात्राओं से प्राप्तांकों के आधार पर आवेदन प्राप्त किया जाएगा एवं उनकी वरीयता सूची विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर प्रदर्शित की जाएगी। सम्बद्ध समस्त निजी अभियंत्रण एवं व्यावसायिक संस्थानों द्वारा उक्त प्रदर्शित वरीयता सूची में से रिक्त बची सीटों पर प्रवेश अनुमन्य किया जाएगा।	एवं व्यावसायिक संस्थानों में यू0पी0एस0ई0ई0-217, जे0ई0ई0 मेन्स, किसी राज्य सरकार अथवा राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित प्रवेश परीक्षा में उत्तीर्ण। 2. अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली द्वारा समय-समय पर विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु यथा निर्धारित अद्यतन प्रभावी अर्हता के आधार पर। उक्त प्रयोजन हेतु विश्वविद्यालय द्वारा एक पोर्टल ओपेन किया जाएगा, जिसमें उपरोक्तानुसार उत्तीर्ण छात्र/छात्राओं से प्राप्तांकों के आधार पर आवेदन प्राप्त किया जाएगा एवं उनकी वरीयता सूची विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर प्रदर्शित की जाएगी। सम्बद्ध समस्त निजी अभियंत्रण एवं व्यावसायिक संस्थानों द्वारा उक्त प्रदर्शित वरीयता सूची में से रिक्त बची सीटों पर प्रवेश अनुमन्य किया जाएगा।

3. तदनुसार शासनादेश संख्या-5025/सोलह-1-2016-14(54)/2012 दिनांक 02.01.2017 सपठित शासनादेश संख्या-197/सोलह-1-2016-14(54)/2012 दिनांक 16.01.2017 व शासनादेश संख्या-1639/सोलह-प्रा0शि0-1-2017-14(54)/2012 दिनांक 15.05.2017 उक्त सीमा तक संशोधित समझा जायेगा।

भवदीय,

(अबरार अहमद)

विशेष सचिव

<u>संख्या व दिनांक तदैवः-</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. प्रमुख सचिव श्री राज्यपाल (कुलाधिपति), उ0प्र0, लखनऊ।
2. अध्यक्ष, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली।
3. निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, उ0प्र0।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

4. कुलपति, डा0 ए0पी0जे0 अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय, उ0प्र0, लखनऊ।
5. कुलसचिव, मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, गोरखपुर।
6. कुलसचिव, हरकोर्ट बटलर प्राविधिक विश्वविद्यालय, कानपुर।
7. समस्त निदेशक, शासकीय अनुदानित स्वायत्तशासी अभियंत्रण संस्थान, उ0प्र0।
8. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(अबरार अहमद)

विशेष सचिव

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।